फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती हरिबाई — विपक्षी : गंगा

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 07/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 11.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प धोलीमगरी में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 363 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट के पति गला पिता हीरा जाट की मृत्यु के बाद अपीलान्ट को फौत बताकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने सम्पूर्ण जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसकी कानूनी कार्यवाही भी की गई। अपीलान्ट गला की विधिक वारिस होने से गला के नाम भूमि में अपीलान्ट का हक हिस्सा निहित हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तकरण को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा दिनांक 05.09.2007 को पारित किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा गला की विधिक वारिस होना बताकर ग्राम पंचायत द्वारा गलत नामान्तरकरण को निरस्त करा अपने नाम भूमि हिस्सेनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट को फौत बताकर गला पिता हीरा के नाम की भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दी गई है। अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् पुलिस थाना घासा में एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसकी प्रति पत्रावली में पेश की हुई हैं। अपीलान्ट द्वारा मय शपथ पत्र के अपील प्रस्तुत कर अपने आप को गला की पत्नी बताया हैं। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 363 पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण हैं जिससे अपीलान्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत धोलीमगरी द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 363 दिनांक 05.09.2007 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में गला पिता हीरा जाट निवासी धोलीमगरी मय पत्नी के विधिक वारिसों की जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested